बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या–4प/प्र०भ०–130–01/2024/8102/पं०रा०, पटना, दिनांक 27/6/25

विषय : त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत (मासिक) भत्ता में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने एवं इस निमित्त कुल ₹5,48,62,12,800.000 (पाँच अरब अड़तालीस करोड़ बासठ लाख बारह हजार आठ सौ रूपये) प्रतिवर्ष व्यय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप, इनके कार्यों/दायित्वों में वृद्धि हुई है।

2. विभागीय संकल्प संख्या 2517 दिनांक 05.05.2015 एवं संकल्प संख्या 479 दिनांक 15.01.2024 द्वारा जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को निम्नांकित सारणी में उल्लिखित दर से समेकित नियत (मासिक) भत्ता का प्रावधान किया गया है :–

सारणी

क्र0	पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का पदनाम	वर्त्तमान नियत (मासिक) भत्ता
1	**2**	**3**
1	जिला परिषद् अध्यक्ष	₹ 12,000.00
2	जिला परिषद् उपाध्यक्ष	₹ 10,000.00
3	जिला परिषद् सदस्य	₹ 2,500.00

4	पंचायत समिति प्रमुख	₹ 10,000.00
5	पंचायत समिति उप–प्रमुख	₹ 5,000.00
6	पंचायत समिति सदस्य	₹ 1,000.00
7	ग्राम पंचायत मुखिया	₹ 5,000.00
8	ग्राम पंचायत उप–मुखिया	₹ 2500.00
9	ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य)	₹ 800.00
10	ग्राम कचहरी सरपंच	₹ 5,000.00
11	ग्राम कचहरी उप–सरपंच	₹ 2500.00
12	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	₹ 800.00

3. बढ़ी हुई मँहगाई एवं मुद्रास्फीति को दृष्टिपथ में रखते हुए समीक्षोपरान्त दिनांक 24.06.2025 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या–20 में जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को पूर्व से देय नियत (मासिक) भत्ता में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. इसके आलोक में जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को पूर्व से देय नियत (मासिक) भत्ता में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से निम्न सारणी के अनुरूप वृद्धि किया जाता है :–

क्र०	पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों का पदनाम	जनप्रतिनिधियों की संख्या	वर्त्तमान नियत (मासिक) भत्ता	दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी नियत (मासिक) भत्ता	प्रतिमाह व्यय भार (कॉलम–3 × कॉलम–5)	वार्षिक व्यय भार (कॉलम–7 ×12)
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला परिषद् अध्यक्ष	38	₹ 12,000.00	₹ 18,000.00	₹ 6,84,000.00	₹ 82,08,000.00
2	जिला परिषद् उपाध्यक्ष	38	₹ 10,000.00	₹ 15,000.00	₹ 5,70,000.00	₹ 68,40,000.00
3	पंचायत समिति प्रमुख	533	₹ 10,000.00	₹ 15,000.00	₹ 79,95,000.00	₹ 9,59,40,000.00
4	पंचायत समिति उप–प्रमुख	533	₹ 5,000.00	₹ 7,500.00	₹ 39,97,500.00	₹ 4,79,70,000.00

5	ग्राम पंचायत मुखिया	8053	₹ 5,000.00	₹ 7,500.00	₹ 6,03,97,500.00	₹ 72,47,70,000.00
6	ग्राम पंचायत उप–मुखिया	8053	₹ 2,500.00	₹ 3,750.00	₹ 3,01,98,750.00	₹ 36,23,85,000.00
7	ग्राम कचहरी सरपंच	8053	₹ 5,000.00	₹ 7,500.00	₹ 6,03,97,500.00	₹ 72,47,70,000.00
8	ग्राम कचहरी उप–सरपंच	8053	₹ 2,500.00	₹ 3,750.00	₹ 3,01,98,750.00	₹ 36,23,85,000.00
9	जिला परिषद् सदस्य	1160-76=1084	₹ 2,500.00	₹ 3,750.00	₹ 40,65,000.00	₹ 4,87,80,000.00
10	पंचायत समिति सदस्य	11094-(533x2)=10028	₹ 1,000.00	₹ 1,500.00	₹ 1,50,42,000.00	₹ 18,05,04,000.00
11	ग्राम पंचायत सदस्य	109569-8053=101516	₹ 800.00	₹ 1,200.00	₹ 12,18,19,200.00	₹ 1,46,18,30,400.00
12	ग्राम कचहरी सदस्य (पंच)	109569-8053=101516	₹ 800.00	₹ 1,200.00	₹ 12,18,19,200.00	₹ 1,46,18,30,400.00
		कुल			₹ 45,71,84,400.00	₹ 5,48,62,12,800.00
कुल वार्षिक व्यय : पाँच अरब अड़तालीस करोड़ बासठ लाख बारह हजार आठ सौ रूपये मात्र						

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 एवं विभागीय संकल्प संख्या 479 दिनांक 15.01.2024 के आलोक में जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के नियत (मासिक) भत्ता का भुगतान षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय–8 की सामान्य निधि से संबंधित कंडिका–8.31 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

राज्य वित्त आयोग मद :

(i) जिला परिषदों के लिए–

"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष– 00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान"। विषय शीर्ष–0007.31.04–सहायक अनुदान–वेतन। विपत्र कोड 16–2515001960007

(ii) <u>पंचायत समितियों के लिए–</u>

''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0004–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान''। विषय शीर्ष–0004.31.04–सहायक अनुदान–वेतन। विपत्र कोड 16–2515001970004

(iii) <u>ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए–</u>

''मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान''। विषय शीर्ष–0009.31.04–सहायक अनुदान–वेतन। विपत्र कोड 16–2515001980009

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/6/25

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : 4प/प्र०भ०–130–01/2024/8102/पं०रा० दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/25

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक : 4प / प्र०भ०–130–01 / 2024 / 8102 / पं०रा० दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 26/6/25

सचिव

ज्ञापांक : 4प / प्र०भ०–130–01 / 2024 / 8102 / पं०रा० दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियाँ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(मनोज कुमार) 26/6/25

सचिव

ज्ञापांक : 4प / प्र०भ०–130–01 / 2024 / 8102 / पं०रा० दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, पटना उच्च न्यायालय / महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

(मनोज कुमार) 26/6/25

सचिव

ज्ञापांक : 4प / प्र०भ०–130–01 / 2024 / 8102 / पं०रा० दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संबद्ध अलग फोल्डर पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार) 26/6/25

सचिव

ज्ञापांक : 4प / प्र०भ०–130–01 / 2024 / 8102 / पं०रा० दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार) 26/6/25

सचिव